प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.08.2025

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त सहित कुल 08 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

कार्यवाही की विवरण:- आज दिनांक 11.08.2025 को थाना लिंकरोड़ को समय करीब 11:30 बजे नवीन मंडी स्थल में नीलामी के चबूतरे को लेकर हुए विवाद में हरीश चौधरी निवासी ग्राम चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद के द्वारा की गयी फायरिंग एवं उसके अज्ञात साथियों द्वारा की गई मारपीट में सचिन पुत्र भुट्टो यादव निवासी बिहार, जो कि हाजी शमशाद की दुकान पर पल्लेदारी का काम करता है कि जांघ में गोली लगने से घायल हो गया जिसको यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। झगड़े में एक अन्य व्यक्ति अनीस पुत्र इशहाक के सर में हल्की चोट लगी है। इस सम्बन्ध में थाना लिंक रोड गाजियाबाद पर वादी श्री भारत भाटी पुत्र श्री फरे सिंह नि0-दुकान नं0-बी-16 साहिबाबाद सब्जी मंडी गाजियाबाद की तहरीर पर मु0अ0सं0-266/25 धारा 191(2)/191(3)/190/351(3)/352/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज व की सहायता से त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य अभियुक्त हरीश चौधरी एवं उसके अन्य साथियो जोकि घटना में उसके साथ थे को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि वर्चस्व बनाने के लिये विवाद हो गया। अभियुक्त हरीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से रिवाल्वर से फायर दिया,जिसमें एक व्यक्ति सचिन जांघ में गोली लगने से घायल हो गया तथा अन्य व्यक्ति अनीस पुत्र इशहाक के सर में हल्की चोट लगने से घायल हो गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1- हरीश चौधरी पुत्र स्व. ओमकार सिंह निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
2-अर्जुन चौधरी पुत्र हरीश चौधरी निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
3- करण चौधरी पुत्र हरीश चौधरी निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
4- राज चौधरी पुत्र स्व. धर्मेंद्र चौधरी निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
5- अभय बैंसला पुत्र अशोक चौधरी निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
6- अनुराग चौधरी पुत्र नरेश निवासी चिरौड़ी थाना लोनी गाजियाबाद।
7- प्रशांत नागर पुत्र धनराज नागर निवासी कनावनी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद
8- प्रिंस पुत्र अजय नागर निवासी कनावनी उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण हरीश चौधरी पुत्र ओमकार थाना लोनी का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरुद्ध निम्नांकित अभियोग पंजीकृत है-

1-मु0अ0सं0-560/22 धारा 147/148/149/323/34/342/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना लोनी

2-मु0अ0सं0-606/18 धारा 147/309/341/506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0-1473/22 धारा 307/504 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

4-मु0अ0सं0-1906/22 धारा 420/467/468/506 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

अन्य अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 07 अभियुक्तगण पर 25000/- रू0 का ईनाम घोषित।

गैंगस्टर एक्ट में थाना मुरादनगर पर पंजीकृत अभियोगो में वांछित अभियुक्तगण1. नदीम पुत्र शौकीन अल्वी निवासी टोली मोहल्ला लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2. हरीश उर्फ विशाल पुत्र कल्लू कश्यप निवासी कृष्णा विहार थाना लोनी गाजियाबाद 3. शिवांश पुत्र तिलकराम निवासी डी 3/280 गली नंबर 18 हर्ष विहार दिल्ली मूल निवासी ऊंचा मौहल्ला कैसेरुखेरा थाना लालकुर्ती मेरठ 4. दुष्यंत प्रजापति पुत्र इंदरपाल निवासी मोड़ शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.योगेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम उखलारसी मुरादनगर गाजियाबाद 6.साहिर पुत्र मुनसब निवासी कस्बा बनत थाना आदर्श मंडी शामली 7.आयुष राणा पुत्र संजीव राणा निवासी कस्बा बनत थाना आदर्श मंडी शामली गाजियाबाद पर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा **25,000/- रूपये** का पुरूस्कार घोषित किया गया है।

साइबर सेल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 52,549.94/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 11.08.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री चिराग श्रीवास्तव सै०-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 52,549.94/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण- साइबर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 07.06.2025 को श्री चिराग श्रीवास्तव से०-9 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 52,549.94/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया। अथक प्रयासों के बाद दिनांक 11.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त पर 25000/- रू0 का ईनाम घोषित ।

थाना मुरादनगर गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग 421/2025 धारा- 64/123/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सुशील प्रजापति पुत्र राजपाल सिंह निवासी ब्रजविहार कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद पर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा **25,000/- रूपये** का पुरूस्कार घोषित किया गया है ।

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 08.08.25 की रात्रि में कैब चालक को घायल कर कार लूटने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व घटना में लूटी गयी कार वैगनआर UP 16QT 5094 तथा मजरूब का आधार कार्ड एवं मजरुब का खून लगा एक रूमाल व घटना में प्रयुक्त एक किचन चाकू, बरामद ।

पुलिस मुठभेड/ गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 08.08.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री रिजवान पुत्र इकबाल निवासी सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर द्वारा कैब/ कार लूटने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था कि दिनांक 08.08.2025 को वादी उपरोक्त का भाई जाकिर अपनी ओला कार वैगनआर नं0 UP 16QT 5094 को लेकर बुकिंग में गया था जिसे 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके भाई के साथ मारपीट कर छोटे हरिद्वार के पास (गंगनहर मुरादनगर) से वैगनआर कार व उसके मोबाइल फोन लूटकर ले गये है । उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन कर अथक प्रयास किये गये । आज दिनांक 11.08.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल अभियुक्त अभय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम सूत्याना चौकी कुलेशरा के सामने थाना ईकोटेक 03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को दौराने

पुलिस मुठभेड डिडौली गंगनहर पुल पटरी पर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में लूटी गयी कार वैगनआर नं0 UP 16QT 5094 एवं मजरुब जाकिर का आधार कार्ड व मजरुब का खून लगा एक रुमाल तथा घटना में प्रयुक्त एक किचन चाकू बरामद हुआ है मौके से दो अभियुक्त फरार हो गये है जिनकी गिरफ्तारी हेतु काबिंग की जा रही है तथा गिरफ्तारशुदा घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 08.08.2025 को वह अपने साथी आदित्य राणा पुत्र दिनेश राणा निवासी सपनावत ठाकुर थाना कपूरपुर जनपद हापुड व कुणाल पंवार पुत्र दीपक पंवार निवासी संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के साथ मिलकर नोएडा से उक्त कार बुकिंग कर लाये थे जिसे छोटा हरिद्वार के पास गंगनहर पर चालक पर चाकू से हमला कर चालक के मोबाइल फोन, पर्स/ नगदी व कार को लूटकर ले गये थे। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह कविनगर में अनिल कुमार गर्ग की कोठी पर गार्ड की नौकरी करता था मार्च के महिने में मैने अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग की गाडी चोरी कर ली थी जो मुझसे पुलिस द्वारा बरामद कर ली गयी थी उक्त कार चोरी के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर 276/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा इस लूटी हुई वैगनआर कार से अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग के अपहरण की योजना बनायी थी जो सफल नही हो पायी इस कारण आज इस गाडी को मैं अपने साथियों के साथ मिलकर बेचने के लिये मेरठ जा रहा था कि पुलिस ने पकड लिया तथा मेरे दो साथी मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अभय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम सूत्याना चौकी कुलेशरा के सामने थाना ईकोटेक 03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष,

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर

घटना में लूटी गयी कार वैगनआर नं0 UP 16QT 5094

एवं मजरुब जाकिर का आधार कार्ड, मजरूब का खून लगा एक रूमाल व घटना में प्रयुक्त एक किचन चाकू,

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर लूट व पुलिस मुठभेड के 02 अभियोग तथा थाना कविनगर पर वाहन चोरी का 01 अभियोग- कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 11.08.2025 को समय रात्रि करीब 11:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चिपियाना अंडरपास के नीचे बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर खास की सूचना से पता चला कि आज एक बिना नंबर प्लेट की पैशन प्रो बाइक पर सवार होकर दो व्यक्ति एक घटना को अंजाम देने जा रहे

हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम द्वारा एक और चेकिंग पॉइंट एबीईएस कॉलेज के सामने लगा दिया गया। जब दो संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को आता देख रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को तेज गति से भगाते हुए एबीईएस की तरफ मोड़ लिया गया जब एबीईएस के सामने उनके द्वारा देखा गया कि एक और पुलिस टीम खड़ी है तो उन्होंने एबीएस की साइट से जो कच्चा रास्ता जा रहा है उस पर अपनी बाइक मोड ली और उसकी तरफ भागने की कोशिश की। बारिश का मौसम होने के कारण और कीचड़ होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर उन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु अपने बचाव में गोली चलाई तो उसमें से एक व्यक्ति वकील उर्फ रिजवान के पैर में गोली लग गई। पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इनके विरुद्ध एक दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और यह काफी शातिर किस्म का अपराधी है इसका दूसरा साथी मुस्तकीम भी इसी दौरान पकड़ा गया। इनके पास से एक अवैध तमंचा एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एक चोरी की गई मोटरसाइकिल, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, 34000/- रूपये कैश एवं एक सफेद धातु का कड़ा बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएससी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ट्रांस हिंडन जोन पुलिस द्वारा "श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेंकिग अभियान के अन्तर्गत " यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन/चालकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

दिनांक 11.08.2025 को ट्रांस हिंडन जोन, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थाना क्षेत्रों में **"श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के अन्तर्गत "** बिना हेलमेट, तीन सवारी, बिना नम्बर प्लेट, गलत दिशा से आने वाले वाहन/चालकों आदि के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत पुलिस टीम द्वारा 44 स्थानों पर चेकिंग कर 3686 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 1955 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये। इस अभियान के अंतर्गत ट्रांस हिंडन जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई।

थानावार कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है –

क्र0सं0	नाम थाना	चैक किये गये व्यक्तियों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या
1	इन्दिरापुरम	378	288
2	खोडा	700	360
3	कौशाम्बी	905	465
4	साहिबाबाद	505	382
5	लिंक रोड	200	32
6	शालीमार गार्डन	488	208
7	टीला मोड	510	220
	कुल योग	**3686**	**1955**

साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 39,500/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 11.08.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री ममतेश निवासी A-ब्लॉक सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 39,500/- रुपये आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पॉर्टल के माध्यम से आवेदक श्री ममतेश के साथ 39,500/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 11.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 39,500/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 28.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री सुधीर वशिष्ठ एडवोकेट चैम्बर न0-17 व 21 नगरपालिका काम्पलैक्स तहसील के सामने थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि उसके व उसके साथी के चैम्बर से अज्ञात चोर द्वारा करीब 1 लाख रु नगद व बैट्री इन्वर्टर चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 331(4) व 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.08.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त मौहम्मद वसीम पुत्र मौ0 हनीफ निवासी शाहजहाँ कॉलोनी गली न0-01 पिलोखडी रोड थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष को आदर्श कन्या इंटर कॉलेज गोविन्दपुरी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये बैट्री इन्वर्टर व 1210/- रु नगद व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुए। अभियुक्त के पास से बरामद ई-रिक्शा को सीज कर अभियोग में धारा 3(5) /317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना मे संलिप्त अभियुक्त का अन्य साथी मौहम्मद इमरान निवासी लिसाडी गेट मेरठ फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैनें अपने दोस्त मौ0 इमरान के साथ मिलकर इसी ई- रिक्शा से रुपये व इन्वर्ट बैट्री तहसील के सामने बने वकीलो के चैंबरों से 10-12 दिन पहले चोरी किये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

मौहम्मद वसीम पुत्र मौ0 हनीफ निवासी शाहजहाँ कॉलोनी गली न0-01 पिलोखडी रोड थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र करीब 30 वर्ष।

<u>वांछित अभियुक्त का नाम व पता–</u>

मौहम्मद इमरान निवासी लिसाडी गेट मेरठ।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

कब्जे से चोरी के 1210/- रुपये चोरी, इन्वर्टर, बैट्री व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u> थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा डायल-112 पर ऐतिहासिक/धरोहर लाल किला को बम से उड़ाने की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.08.2025 को डायल-112 पर कॉलर आसिफ ने सूचना दी कि शादाब अख्तर, मौ0 मियाँ व अतर उर्फ भोला जो उसके घर वाले हैं, 15 अगस्त को लाल किला दिल्ली को बम से उडाने की बात कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची व जाँच की गयी तो पाया कि कॉलर आसिफ उर्फ आशू पुत्र मौ0 शादाब उम्र करीब 28 वर्ष मूल निवासी हजियापुर थाना बारादरी जिला बरेली हाल निवासी राजधानी एन्क्लेव गली नं0-04 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद में रहता है तथा नशा करने का आदि है, इसके द्वारा दिल्ली स्थित ऐतिहासिक/धरोहर लाल किला को अपने पिता व भाईयों के द्वारा बम से उडाने की झूठी सूचना देकर अफवाह फैलाकर आपातकालीन सेवाओं को गुमराह किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 351(2)/353(1)(बी) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.08.2025 को अभियुक्त आसिफ उर्फ आशू को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ, मेरे घरवाले मेरी शादी नहीं करा रहे थे, जिस कारण मैं अपने घरवालो से परेशान था, उनको धमकाने के लिए

मैने नशे की हालत में डायल-112 पर ऐतिहासिक/धरोहर लाल किला को मेरे पिता व भाईयों के द्वारा बम से उडाने की झूठी सूचना दी थी। मेरे द्वारा पूर्व में भी जामा मस्जिद व लाल किला दिल्ली में बम लगाने की झूठी सूचना दी गयी थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ उर्फ आशू पुत्र मौ0 शादाब उम्र करीब 28 वर्ष मूल निवासी हजियापुर थाना बारादरी जिला बरेली हाल निवासी राजधानी एन्क्लेव गली नं0-04 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग, तथा थाना जामा मस्जिद दिल्ली पर जामा मस्जिद व लाल किला दिल्ली में बम लगाने की झूठी सूचना देने के सम्बन्ध में 01 अभियोग (कुल-02 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

यातायात व्यवस्था सुधार हेतु गाजियाबाद पुलिस के निरंतर प्रयास

रक्षाबंधन पर्व के दौरान गाजियाबाद में उत्पन्न हुई यातायात सम्बन्धी समस्या के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है, कि गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं:-

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व दिनांक 09.08.2025 (शनिवार) को था, एवं पर्व के अगले दिन रविवार (अवकाश) होने के कारण बड़ी संख्या में सरकारी, गैर-सरकारी एवं अन्य वर्ग के लोग गाजियाबाद से होकर अपने-अपने गंतव्य को आवागमन करते रहे। वाहनों के बड़ी संख्या में आवागमन, मार्गों की सीमित चौड़ाई, बारिश के कारण सड़कों में हुए गड्ढों एवं घनत्व के सापेक्ष गाजियाबाद में यातायात नियंत्रण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यातायात के सुगम संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख दबाव बिंदुओं का चिन्हांकन कर नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त तीन शिफ्ट में अतिरिक्त यातायात पुलिस बल की तैनाती की गई। यातायात के दवाब के सापेक्ष आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन/रूट प्लानिंग के माध्यम से उच्चाधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण एवं यातायात पुलिस के कर्मियों की तत्परता से भीड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों के दबाव को कम करने के प्रयास किए गए।

- दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट्स की सीमित चौड़ाई के कारण यातायात दबाव अधिक रहा। इस संबंध में पूर्व में NHAI से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही प्रचलित है। यातायात पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों स्थानों पर सुगम संचालन हेतु अतिरिक्त यातायात पुलिस बल लगाया गया है।

- एन0एच0-09 से बुलंदशहर लाल कुआँ उतार पर नीचे चौड़ीकरण एवं डिवाइडर को ऊँचा किये जाने हेतु NHAI से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही प्रचलित है। यातायात पुलिस द्वारा सुगम संचालन हेतु अतिरिक्त यातायात पुलिस बल लगाया गया है।
- ITMS परियोजना का कार्य कर रही संस्था द्वारा विभिन्न स्थलों पर खुदाई के कारण बने गड्ढों में बारिश का पानी भरने के फलस्वरूप यातायात की गति प्रभावित हुई। इसके बावजूद, यातायात पुलिस ने समर्पण और तत्परता के साथ लगातार निगरानी एवं नियंत्रण कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रयासरत है।
- भीड़ भाड़ वाले स्थानों एवं प्रमुख बाजारों में यातायात पुलिस द्वारा सुगम यातायात व्यवस्थापन हेतु अतिरिक्त ट्रेमो मोबाइल की ड्यूटी लगायी गयीं।
- प्रतिदिन यातायात के दवाब वाले स्थानों की सूचना यातायात नियंत्रण कक्ष द्वारा नोट की जाती है, तथा उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस द्वारा कैब लूट की घटना का सफल अनावरण कर लूट करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी कार, लूटे गये 02 मोबाइल, 01 अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त 01 किचन चाकू, दो अन्य अवैध चाकू तथा अन्य सामान बरामद ।

दिनांक 08.08.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री रिजवान पुत्र इकबाल निवासी सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर ने अभियोग पंजीकृत कराया था कि वादी का भाई जाकिर अपनी ओला कार वैगनआर नं0 UP 16QT 5094 को लेकर बुकिंग में गया था जिसे 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट कर गंगनहर के पास से वैगनआर कार व मोबाइल लूटकर ले गये हैं। थाना निवाडी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.08.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व अन्य साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना का सफल अनावरण कर मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त अभय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम सूत्याना चौकी कुलेसरा के सामने थाना ईकोटेक 03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को दौराने पुलिस मुठभेड घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी गयी वैगनआर कार सिल्वर रंग, 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, मजरुब जाकिर का आधार कार्ड, मजरुब का खून लगा एक रुमाल तथा घटना में प्रयुक्त एक किचन चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त के 02 साथी आदित्य राणा व कुणाल पंवार मौके से फरार हो गये थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा काबिंग की जा रही थी।

आज दिनांक 12.08.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही काम्बिंग व तलाश के दौरान फरार दोनों अभियुक्तगण 1. आदित्य राणा पुत्र दिनेश राणा निवासी सपनावत थाना कपूरपुर जनपद हापुड, 2. कुणाल पंवार पुत्र दीपक पंवार निवासी संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल, दो अदद नाजायज चाकू, लूटे गये 3500/- रुपये व मजरुब / गाडी के अन्य दस्तावेज बरामद हुए। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा साथी अभय है जो कविनगर में अनिल कुमार गर्ग की कोठी पर गार्ड की नौकरी करता था। मार्च के महीने में उसने अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग की गाडी चोरी कर ली थी जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने गाडी को बरामद कर लिया गया था। इसके बाद दिनांक 08.08.25 को अभय ने हमारे साथ मिलकर एक कैब/वैगनआर कार बुक की तथा उसके ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसे गंगनहर पटरी पर फेंककर उसकी कार, मोबाइल व अन्य सामान लूट कर ले गये थे। इसी गाडी का इस्तेमाल करके अभय ने अपने मालिक अनिल कुमार गर्ग के अपहरण करने की योजना बनायी थी, लेकिन योजन सफल नही हो पायी पकडे गये अभियुक्तों ने बताया हम लोग लूटी गयी कार को छिपाने के लिये मेरठ ले जा रहे थे। रास्ते में जब पुलिस ने हमे रोका तो अभय ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था हम दोनो लोग अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1. अभय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम सूत्याना चौकी कुलेसरा के सामने थाना ईकोटेक 03 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष। (घायल अवस्था में)
2. आदित्य राणा पुत्र दिनेश राणा निवासी सपनावत थाना कपूरपुर जनपद हापुड, उम्र करीब 20 वर्ष।
3.कुणाल पंवार पुत्र दीपक पंवार निवासी संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से लूटी गयी कार, लूटे गये 02 मोबाइल, 01 अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त 01 किचन चाकू, 02 अन्य अवैध चाकू , लूटे गये 3500/- रुपये व मजरुब / गाडी के अन्य दस्तावेज बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त अभय के विरुद्ध थाना निवाडी पर लूट व पुलिस मुठभेड के 02 अभियोग तथा थाना कविनगर पर वाहन चोरी का 01 अभियोग- (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं तथा

अभियुक्तगण आदित्य व कुणाल के विरुद्ध थाना निवाडी पर लूट व पुलिस मुठभेड के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 11-08-25 को वादी श्री शत्रुध्न सिंह पुत्र स्व0 श्री राम किशोर सिंह पता नई बस्ती, गली नंबर 1 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा मेरी होण्डा ड्रीम नियो रजि0 नं0- UP 14 CA 5374 को चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 12-08-25 को मुखबिर की सूचना पर राजनगर एक्सटेंशन की तरफ से आने रास्ते पर चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण को मय चोरी की मो0सा0 व स्कूटी के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे पास दोनो वाहन चोरी के है जिन्हे हम आज बेचने के लिये ले जा रहे यह स्कूटी रजि0 नं0 DL 5 SC 4036 रंग काला को नवयुग मार्किट से चोरी की थी तथा होण्डा ड्रीम नियो रजि0 नं0-UP 14 CA 5374 रंग ब्लैक को हमने मिलकर नई बस्ती नन्दग्राम से दिनांक 10.08.2025 को चोरी की थी। हम लोग नशे के आदी है इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करते है।

अभियुक्तों का नाम व पता –

1. गौरव पुत्र शशि निवासी गली नं0-2 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र- 26 वर्ष।
2. संजीव कुमार पुत्र मदन सिंह निवासी ठेके के सामने मन्दिर के पास नई बस्ती नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र- 29 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गौरव उपरोक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण –

1) एक मो0सा0 होण्डा ड्रीम नियो रजि0 नं0-UP 14 CA 5374
2) एक स्कूटी होन्डा एक्टिवा रजि नं0 DL 5 SC 4036

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 45000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 12.08.2025 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री दीपक गौतम निवासी 135 चौधरी प्रेमकुंज कोटगांव थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में कुल धनराशि 45,000/- रुपये आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पॉर्टल के माध्यम से आवेदक श्री दीपक के साथ 45,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन फ्राड की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 12.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 45,000/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमि0 गाजियाबाद